"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 जून 2007—ज्येष्ठ 18, शक 1929

भाग 3 (1)

विविध

आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

श्रमायुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2007
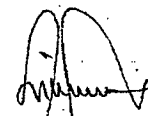
न्यूनतम वेतन एवं महंगाई भत्ते की दरें

दिनांक 01-04-2007 से प्रभावशील

क्रमांक/आठ/न्यू. वे./श्र. आ./1372.—छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2 (घ) में निहित प्रावधान सह पठित,मध्यप्रदेश, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक/3761/613/16-ए/82, दिनांक 25-5-1982 के अनुसरण में, मैं नारायण सिंह श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर एतद्द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया है. जुलाई 2006 से दिसम्बर 2006 तक के माहों के लिए निम्नानुसार प्रकाशित करता हूं :—

माह / वर्ष 2006	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960=100)
जुलाई 2006	2830
अगस्त 2006	2830
सितम्बर 2006	2854
अक्टूबर 2006	2899
नवम्बर 2006	2899
दिसम्बर 2006	2899
योग	$\frac{17211}{6} = 2869$

तथा इनका औसत 2869 घोषित करता हूँ, जो कि परिशिष्टित नियोजनों के श्रमिकों के लिए निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स नंबर) रहेगा । श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ-4-(सी)-3-97-सोलह ए, दिनाँक 05.02.1997 (मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनाँक 06.02.1997) द्वारा परिशिष्टित नियोजनों के श्रमिकों को परिवर्तनशील महँगाई भत्ता देय है ।

(नारायण सिंह)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

श्रम आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर

परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में

विवरणात्मक टीप

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनाँक 06.02.1997 के पृष्ठ क्रमांक 86 से 86(22) तक श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना दिनाँक 05.02.1997, जो न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत् 33 अनुसूचित नियोजनों में पूर्व अधिसूचना क्रमांक 4(सी)–7–82–श्रम–16 ए, दिनाँक 26.06.1987 को अधिक्रमित करते हुए, नई अधिसूचना क्रमांक एफ 4–(सी)–3–97–16–ए, दिनाँक 05.02.1997, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनाँक 06.02.1997 में प्रकाशित हुई है, के अनुसार औद्योगिक श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1281 (1960=100) पर आधारित कर संबंद्ध की गई है ।

श्रमायुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/आठ/न्यू0वे0/श्र0आ0/2006/1372, दिनाँक 11.04.2007 के अनुसार जुलाई 2007 से दिसम्बर, 2007 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 2869 रहा है, इसलिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1281 (1960=100), जुलाई से दिसंबर, 1993 के आधार पर आँकड़ों के ऊपर कुल 1462 औसत बिंदुओं तथा जुलाई, 2006 से दिसम्बर 2006 तक की अवधि में 126 औसत बिंदुओं की वृद्धि हुई है । परिणामस्वरूप 33 अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महँगाई भत्ता रूपया 1.00 रू0 (एक रूपया) प्रति बिंदु प्रति माह के मान से 126.00 रूपये तथा कुल 1588.00 रूपये या 61.07 रूपये प्रतिदिन (26 दिन के मान से) दिनाँक 01.04.2007 से 30.09.2007 तक देय है। (अनुसूची अ, ब, स)

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक/303/ आर/577/92/नि–5/4, दिनाँक 30 जून, 1992 तथा छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सहपठित मध्यप्रदेश, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक/3761/613/16–ए/82, दिनाँक 25.05.1982 के अनुसरण में, मैं नारायण सिंह श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर एतद्द्वारा शासकीय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिए दैनिक वेतन की दरें संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिए अनुसूची–"क" के अनुसार निर्धारित करता हूँ, जो दिनाँक 01.04.2007 से 30.10.2007 तक देय है ।

अनुसूची–"अ"

33 अनुसूचित नियोजन में मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें, जिसमें परिवर्तनशील महँगाई भत्ता सम्मिलित है । (आँकड़े रुपयों में)

न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महँगाई भत्ता		कुल वेतन		श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महँगाई भत्ता		कुल वेतन	
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
दिनांक 01.10.2006 से 31.03.2007							दिनांक 01.04.2007 से 30.9.2007					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1014.00	39.00	1462.00	56.23	2476.00	95.23	अकुशल	1014.00	39.00	1588	61.07	2602.00	100.00
1122.00	43.15	1462.00	56.23	2584.00	99.38	अर्धकुशल	1122.00	43.15	1588	61.07	2710.00	104.22
1232.00	47.38	1462.00	56.23	2694.00	103.61	कुशल	1232.00	47.38	1588	61.07	2820.00	108.45

टीप : न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत् 33 अनुसूचित नियोजनों की सूची परिशिष्ट–"अ" तथा इस संबंध में स्पष्टीकरण परिशिष्ट–"ब" में देखें ।

(नारायण सिंह)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

परिशिष्ट–"अ"

न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत् अनुसूचित नियोजनों की सूची

क्रमांक	नियोजन का नाम
1.	किसी कपास जिनिंग एवं प्रेसिंग कारखाने में नियोजन
2.	वन उपज तथा वन लगाने में नियोजन
3.	मार्गों के निर्माण तथा अनुरक्षण या भवन निर्माण कार्यों में नियोजन
4.	लोक मोटर परिवहन में नियोजन
5.	इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन
6.	सिंचाई कार्यों के निर्माण तथा संधारण में नियोजन
7.	केमिकल्स तथा फार्मास्युटिकल्स में नियोजन
8.	किसी आरा मिल में नियोजन
9.	किसी तेल मिल में नियोजन
10.	किसी चांवल मिल, आटा–मिल या दाल मिल में नियोजन
11.	किसी मुर्रा पोंहा निर्माणी में नियोजन
12.	खाद्य पदार्थ जिमें केक्स, बिस्किट्स, कन्फेक्शनरी, आईसक्रीम, आईसकेण्डी सम्मिलित हैं एवं पेयके निर्माण में नियोजन
13.	पत्थर तोड़ने या पत्थर पीराने के कार्य में नियोजन
14.	किसी दुकान, वाणिज्यिक संस्थान, आवासीय होटल, रेस्टोरेंट तथा नाट्यगृह में नियोजन
15.	किसी मुद्रणालय में नियोजन
16.	सीमेंट पोल अथवा सीमेंट से निर्मित उत्पादन तथा सीमेंट निर्माण में नियोजन
17.	प्लास्टिक उद्योग में नियोजन
18.	फयूएल कोक में नियोजन
19.	चूना भट्ठा में नियोजन
20.	ईंट भट्ठों में नियोजन
21.	पावरलूम जिसमें सायजिंग एवं प्रोसेसिंग भी सम्मिलित है, में नियोजन
22.	किसी स्थानीय प्राधिकरण में नियोजन
23.	कोसा उद्योग में नियोजन
24.	खांडसारी उद्योग में नियोजन
25.	पाटरिंज जिसमें रिफेक्ट्री सामान, फायरब्रिक्स, सेनेटरी वेअर्स, इन्सूलेटर्स, टाईल्स, (सीमेंट से निर्मित टाईल्स को छोड़कर) स्टोन वेअर्स पाईप्स, फरनेरा, लाईनिंग, विक्रा तथा अन्य रिसेमिक्स सामान सम्मिलित है, में नियोजन
26.	कंवल निर्माण कार्य में नियोजन
27.	किसी स्लेट पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन
28.	कत्था उद्योग में नियोजन
29.	रामरज या गेरू के निर्माण में नियोजन
30.	हाथ करघा उद्योग में नियोजन
31.	बोन मिल में नियोजन
32.	टाईल्स जिसमें मेंगलोर टाईल्स, अलाहाबाद टाईल्स तथा अन्य स्थानीय नाम से प्रचलित टाईल्स सम्मिलित हैं, परन्तु सीमेंट से निर्मित टाईल्स सम्मिलित नहीं है, के निर्माण में नियोजन
33.	किसी विनिर्माणी प्रक्रिया जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया जो कि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा–2 (क) परिभाषित की गई, चलाई जाती है, जो अनुसूची में दी गई किसी अन्य प्रविष्टि के अन्तर्गत नहीं आती है, में नियोजन ।

परिशिष्ट—"ब"

स्पष्टीकरण

1. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए (1) इस अधिसूचना के द्वारा जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है, वह कैलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगा, यदि किसी कर्मचारी ने अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम के अनुसार संबंधित कैलेंडर माह में सभी अवकाश के दिनाँक का लाभ उठाया हो और यदि किसी संदर्भ मे एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो उपरोक्तानुसार निर्धारित मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जावेगा ।
2. कर्मचारी के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताए हैं, उदाहरण स्वरूप है न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं है, के लिए न्यूनतम वेतन की दर वही होगी, जो समान प्रकृति का काम करने वाली कर्मचारी को देय है ।
3. कुशल, अर्धकुशल तथा अकुशल कर्मचारियों की व्याख्या

(क) कुशल कर्मचारी वह है जो दक्षतापूर्वक कार्य कर सके, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर सके तथा जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सके, उसे उस व्यवसाय शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान होना चाहिए ।

(ख) अर्धकुशल कर्मचारी वह है जो सामान्यतः रोजमर्रा का एक निश्चित स्वरूप का काम करता हो जिसमें कि उसमें उतनी निर्णय बुद्धि, कुशलता तथा निपुणता की अपेक्षा न की जाती हो किंतु उसमें सापेक्षित रूप से ऐसे छोटे काम जो उसे सौंपे जाएँ, उचित रूप से करने की अपेक्षा की जाती हो और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिये जाते हों, इस प्रकार उसका कार्य बंधे बंधाये रोजमर्रा के कार्य करने तक ही सीमित है ।

(ग) अकुशल कर्मचारी वह है जो ऐसे सीधे साधे कार्य करता है, उसमें स्वतंत्र निर्णय या पूर्ण अनुभव की बहुत कम या बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती यद्यपि व्यवसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक होता है । इस प्रकार शारीरिक श्रम के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं एवं भाव से परिचित होना चाहिए ।

4. इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है तो यह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी ।
5. किसी भी स्थापना अथवा उपक्रम में प्रचलित वेतन दरें अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दरों तथा देय परिवर्तनशील महँगाई भत्ते के योग से अधिक होने पर यह समझा जावेगा कि स्थापना या उपक्रम द्वारा अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दर तथा परिवर्तनशील महँगाई भत्ते दिये जाने का पालन किया जा रहा है । यदि स्थापना या उपक्रम द्वारा देय न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महँगाई भत्ते के योग से कम है तो श्रमिक अंतर की राशि के लिए पात्र होंगे ।
6. न्यूनतम वेतन दरों से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किए अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है ।
7. जहाँ कर्मचारी खण्डदर पर नियोजित हो और इस अधिसूचना में उसके लिए खण्डदर इस प्रकार निर्मित की जावे जो आठ घंटे दैनिक छः दिन कार्य करते हैं एवं एक दिन सवैतनिक अवकाश देने पर समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम न हो ।

(नारायण सिंह)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर
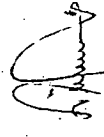
अनुसूची—"ब"

किसी स्लेट पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील महँगाई भत्ता भी शामिल है । (आँकड़े रूपयों में)

न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महँगाई भत्ता		कुल वेतन		कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महँगाई भत्ता		कुल वेतन	
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
दिनाँक 01.10.2006 से 31.03.2007							दिनाँक 01.04.2007 से 3.09.2007					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1589.00	61.11	1462.00	56.23	3051.00	117.34	कटर्स	1589.00	61.11	1588.00	61.07	3177.00	122.18
1356.00	52.15	1462.00	56.23	2818.00	108.38	रोलर्स, मिस्त्री, पांईटर्स	1356.00	52.15	1588.00	61.07	2944.00	113.22
1173.00	45.11	1462.00	56.23	2635.00	101.34	पेपर, पट्टी पेकर, सीवर	1173.00	45.11	1588.00	61.07	2761.00	106.18
1232.00	47.38	1462.00	56.23	2694.00	103.61	मुनीम, लेखाकार, क्लर्क आदि	1232.00	47.38	1588.00	61.07	2820.00	108.45
1014.00	39.00	1462.00	56.23	2476.00	95.23	मजदूर	1014.00	39.00	1588.00	61.07	2602.00	100.07

(नारायण सिंह)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

अनुसूची - ब

किसी मुद्रणालय में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील महँगाई भत्ता भी शामिल है। (रुपयों में)

न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महँगाई भत्ता		कुल राशि		कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महँगाई भत्ता		कुल राशि	
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
दिनाँक 01.10.2006 से 31.03.2007							दिनांक 01.04.2007 से 30.092007					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						लिपिकीय वर्ग						
1232.00	47.38	1462.00	56.23	2694.00	103.61	श्रेणी एक,	1232.00	47.38	1588.00	61.07	2820.00	108.45
1122.00	43.15	1462.00	56.23	2584.00	99.38	श्रेणी दो, कुशल श्रेणी	1122.00	43.15	1588.00	61.07	2710.00	104.22
1416.03	54.46	1462.00	56.23	2878.03	110.69	श्रेणी एक	1416.03	54.46	1588.00	61.07	3004.03	115.53
1303.05	50.11	1462.00	56.23	2765.05	106.34	श्रेणी दो	1303.05	50.11	1588.00	61.07	2891.05	111.19
1232.00	47.38	1462.00	56.23	2694.00	103.61	श्रेणी तीन, अर्धकुशल श्रमिक	1232.00	47.38	1588.00	61.07	2820.00	108.45
1234.17	47.46	1462.00	56.23	2696.17	103.69	श्रेणी एक	1234.17	47.46	1588.00	61.07	2822.17	108.53
1122.00	43.15	1462.00	56.23	2584.00	99.38	श्रेणी दो	1122.00	43.15	1588.00	61.07	2710.00	104.22
1014.00	39.00	1462.00	56.23	2476.00	95.23	अकुशल श्रमिक	1014.00	39.00	1588.00	61.07	2602.00	100.07

(नारायण सिंह)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

अनुसूची—"क"

छत्तीसगढ़ के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत् दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील महँगाई भत्ता भी शामिल है । (आँकड़े रूपयों में)

न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महँगाई भत्ता		कुल वेतन		कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महँगाई भत्ता		कुल वेतन	
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
दिनाँक 01.10.2006 से 31.03.2007							दिनाँक 01.04.2007 से 30.09.2007					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1014.00	33.80	1462.00	48.73	2476.00	82.53	अकुशल	1014.00	33.80	1588.00	52.93	2602.00	86.73
1122.00	37.40	1462.00	48.73	2584.00	86.13	अर्धकुशल	1122.00	37.40	1588.00	52.93	2710.00	90.33
1232.00	41.06	1462.00	48.73	2694.00	89.79	कुशल	1232.00	41.06	1588.00	52.93	2820.00	94.00

विशेष टीप : उपर्युक्त निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 30 दिन से विभाजित कर निर्धारित करने से साप्ताहिक विश्राम दिवस का पारिश्रमिक सम्मिलित नहीं है ।

(नारायण सिंह)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़,रायपुर

श्रम आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर

क्रमांक / [illegible] / [illegible] / [illegible] / 1372 रायपुर, दिनाँक 11.04.2007

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित [illegible] मध्यप्रदेश, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक / 3761 / 613 / 16–ए / 82, दिनाँक 25.05. [illegible] के अनुसरण में, मैं नारायण सिंह, श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर एतद्द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया, जुलाई, 2006 से दिसम्बर, 2006 तक के माहों के लिए निम्नानुसार प्रकाशित करता हूँ :–

माह / वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960=100)
जुलाई, 2006	2191
अगस्त, 2006	2209
सितम्बर 2006	2238
अक्टूबर, 2006	2274
नवम्बर, 2006	2297
दिसम्बर, 2006	2297
योग	13506 / 6 = 2251

तथा इनका औसत 2251 घोषित करता हूँ, जो-कि परिशिष्टित –द कृषि में नियाजनों के श्रमिकों के लिए निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स नंबर) रहेगा । जिससे कि श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ–4–(सी)–3–88–सोलह ए, दिनाँक 12.09.1989 (मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनाँक 14.09.1989) द्वारा परिवर्तनशील महँगाई भत्ता देय है ।

(नारायण सिंह)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतन वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

श्रम आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर

कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिए 01.04.2007 से 30.09.2007 की अवधि हेतु परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 4 (सी) 3-83-16-ए, दिनाँक 12.09.1989 (मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनाँक 14.09.1989) के अंतर्गत् कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिए पुनरीक्षित दरों को अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है ।

श्रमायुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर का अधिसूचना क्रमांक/आठ/न्यू0वे0/श्र0आ0/2006/1372, दिनाँक 11.04.2007 के अनुसार कृषि नियोजन में जुलाई, 2006 से दिसम्बर, 2006 तक की अवधि में अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 2251 रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 661 (1960=100), जुलाई से दिसम्बर 1988 के आधार पर आँकड़ों के ऊपर जुलाई, 2006 से दिसम्बर, 2006 तक की अवधि में 124 औसत बिंदुओं की वृद्धि तथा कुल औसत बढ़कर 1590 बिंदुओं का रहा है, जिसके कारण कृषि श्रमिकों को परिवर्तनशील महँगाई भत्ता प्रतिमाह 1590.00 रूपये या 53.00 रूपये प्रतिदिन (30 दिन के मान से), दिनाँक 01.04.2007 से 30.09.2007 तक देय है । (अनुसूची–"द")

(नारायण सिंह)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

अनुसूची- द

कृषि में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील महँगाई भत्ता भी शामिल है (रुपयों में)

न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महँगाई भत्ता		कुल वेतन		श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महँगाई भत्ता		कुल वेतन	
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
दिनाँक 01.10.2006 से 31.03.2007							दिनाँक 01.04.2007 से 30.09.2007					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
411.00	13.70	1468.00	48.93	1879.00	62.63	अकुशल कृषि श्रमिक	411.00	13.70	1590.00	53.06	2001.00	66.70

(नारायण सिंह)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

श्रम आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ शासन, रायपुर

क्रमांक / आट / न्यू0वे0 / श्र0आ0 / 1372 रायपुर, दिनाँक 11.04.2007

अधिसूचना
अगरबत्ती उद्योग

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, छत्तीसगढ, रायपुर को नव्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक / 3/61 / 613 / 16-ए / 82, दिनाँक 23.05.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत शासन के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात कर, मैं नारायण सिंह, श्रमायुक्त, छत्तीसगढ, रायपुर, विगत जुलाई, 2006 से दिसम्बर, 2006 तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत निम्नानुसार घोषित करता हूँ :–

माह / वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1982=100)
जुलाई, 2006	574
अगस्त, 2006	574
सितम्बर 2006	579
अक्टूबर, 2006	588
नवम्बर, 2006	588
दिसम्बर, 2006	588
योग	3491 / 6 = 582

अतः विगत् छः माहों का औसत 582 घोषित करता हूँ, जो कि अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स नंबर) रहेगा । इस आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ–4–(सी)–1–97–सोलह ए, दिनाँक 12.01.1999 (मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनाँक 15.01.1999) एवं श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ–4–(सी)–1–97–सोलह ए, दिनाँक 18.03.1999 (मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनाँक 02.04.1999 में प्रकाशित) के द्वारा निर्देशित उक्त परिवर्तनशील महँगाई भत्ता अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों को दिनाँक 01.04.2007 से 30.09.2007 तक देय है ।

(नारायण सिंह)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

—: अगरबत्ती उद्योग :—

श्रमायुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/आठ/न्यू0वे0/ श्र0आ0/ [illegible] दिनांक 11.04.2007 के अनुसार जुलाई, 2006 से दिसम्बर, 2006 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 582 रहा है। इसलिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक [illegible] (1982=100) के आधार आँकड़ों के ऊपर जुलाई, 2006 से दिसम्बर, 2006 तक की अवधि 230 औसत बिंदुओं की वृद्धि हुई है। (582—352=230 पाईंट) जिसके परिणाम स्वरूप अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए परिवर्तनशील महँगाई भत्ता 1.25 पैसे (सवा पैसे) प्रति बिंदु प्रति एक हजार अगरबत्ती बनाने के लिए 2.88 रूपये परिवर्तनशील महँगाई भत्ता दिनाँक 01.04.2007 से 30.09.2007 तक देय है ।

श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ—4—(सी)—1—97—सोलह ए, दिनाँक 12.01.1999 (मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनाँक 15.01.1999 में प्रकाशित) एवं श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4 (सी)—1—97—सोलह ए, दिनाँक 18.03.1999 (मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनाँक 02.04.1999 में प्रकाशित) के अंतर्गत अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों की न्यूनतम वेतन दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है, जो दिनाँक द्वारा निर्देशित परिवर्तनशील महँगाई भत्ता अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों को दिनाँक 01.04.2007 से 30.09.2007 तक देय है ।

अनुसूची—"एफ"

अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें :—

कर्मचारी का वर्ग	न्यूनतम मजदूरी	न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित महँगाई भत्ते की दरें	कुल वेतन
अ. अगरबत्ती रोलर्स (1000 अगरबत्ती रोल करने पर) साधारण	6.31 पैसे	5 पैसा प्रति 4 हजार	9.19 पैसे
सुगंधित (सेंटेड)	6.78 पैसे	5 पैसा प्रति 4 हजार (1.25 पैसे प्रति बिंदु)	9.66 पैसे

जा – निम्न वज़न के अनुसार अगरबत्ती गिनना, बटर पेपर की झिल्ली लपेटना, खाली पैकेट में भरना, पैकेट के दोनो ओर चिट लगाकर पैकेट बंद करना ।

बिना सिलोफेन या जिलेटिन के

			रू0 / पैसे
1.	10 ग्राम वज़न के प्रति सैकड़ा रू0 5.37 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 500	8.25
2.	20 ग्राम वज़न के प्रति सैकड़ा रू0 5.84 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 500 (1 पैसा प्रति बिंदु)	8.14
3.	30 ग्राम वज़न के प्रति सैकड़ा रू0 5.84 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 500 (1 पैसा प्रति बिंदु)	8.14
4.	40 ग्राम वज़न के प्रति सैकड़ा रू0 7.60 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 400 (1.25 पैसा प्रति बिंदु)	10.48
5.	70 ग्राम वज़न के प्रति सैकड़ा रू0 10.28 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 300 (1.67 पैसा प्रति बिंदु)	14.12
6.	80 ग्राम वज़न के प्रति सैकड़ा रू0 11.05 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 250 (2 पैसा प्रति बिंदु)	15.65
7.	100 ग्राम वज़न के प्रति सैकड़ा रू0 11.92 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 250 (2 पैसा प्रति बिंदु)	16.52
8.	200 ग्राम वज़न के प्रति सैकड़ा रू0 14.28 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 200 (2.50 पैसा प्रति बिंदु)	20.03

सिलोफेन या जिलेटिन के

1.	10 ग्राम वज़न के प्रति सैकड़ा रू0 5.84 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 500 (1 पैसा प्रति बिंदु)	8.14
2.	20 ग्राम वज़न के प्रति सैकड़ा रू0 7.25 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 400 (1.25 पैसा प्रति बिंदु)	10.13
3.	30 ग्राम वज़न के प्रति सैकड़ा रू0 8.62 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 300 (1.67 पैसा प्रति बिंदु)	12.46
4.	40 ग्राम वज़न के प्रति सैकड़ा रू0 9.12 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 300 (1.67 पैसा प्रति बिंदु)	12.96
5.	70 ग्राम वज़न के प्रति सैकड़ा रू0 10.52 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 300 (1.67 पैसा प्रति बिंदु)	14.36
6.	80 ग्राम वज़न के प्रति सैकड़ा रू0 11.92 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 250 (2 पैसा प्रति बिंदु)	16.52
7.	100 ग्राम वज़न के पंति सैकड़ा रू0 13.33 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 200 (2.50 पैसा प्रति बिंदु)	19.08
8.	200 ग्राम वज़न के प्रति सैकड़ा रू0 15.21 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 200 (2.50 पैसा प्रति बिंदु)	20.96

(i) नियमानुसार पुंगली बनाकर पैक करना निम्न संख्या में अगरबत्तीयों को गिनकर झिल्ली लपेटना, पुंगलियों में भरकर, लेबल या सिलोफेन या जिलेटिन ब्राउन पेपर लगाकर बंद कर चिट लगाना

बिना सिलोफेन या जिलेटिन के — रू0 / पैसे

क्र.	विवरण	दर	रू0 / पैसे
1.	10 अगरबत्ती के लिए प्रति सैकड़ा रू0 4.45 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 600 (0.0083 पैसा प्रति बिंदु)	6.35
2.	12 अगरबत्ती के लिए प्रति सैकड़ा रू0 4.90 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 600 (0.0083 पैसा प्रति बिंदु)	6.80
3.	23 अगरबत्ती के लिए प्रति सैकड़ा रू0 5.82 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 500 (1 पैसा प्रति बिंदु)	8.12
4.	50 अगरबत्ती के लिए प्रति सैकड़ा रू0 6.31 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 500 (1 पैसा प्रति बिंदु)	8.60
5.	100 अगरबत्ती के लिए प्रति सैकड़ा रू0 7.25 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 400 (1.25 पैसा प्रति बिंदु)	10.13
6.	200 अगरबत्ती के लिए प्रति सैकड़ा रू0 8.41 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 400 (1.25 पैसा प्रति बिंदु)	11.29

(ii) सादे लिफाफे में अगरबत्ती रखकर बंद करना :—

क्र.	विवरण	दर	रू0 / पैसे
1.	5 अगरबत्ती के लिए प्रति सैकड़ा रू0 0.94 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 2500 (0.0020 पैसा प्रति बिंदु)	1.40
2.	10 अगरबत्ती के लिए प्रति सैकड़ा रू0 1.15 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 2200 (0.0022 पैसा प्रति बिंदु)	1.65
3.	पुंगली बनाने के कागज प्रति 1000 रू0 18.00 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 1500 (0.0033 पैसा प्रति बिंदु)	18.75

कर्मचारियों का वर्ग (मासिक दर)
न्यूनतम मजदूरी
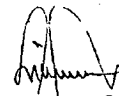
क्र0	कर्मचारियों का वर्ग	मूल वेतन		परिवर्तनशील महँगाई भत्ता		कुल वेतन	
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
1.	एकाऊँटेंट केशियर, गोडाउन कीपर	1699.75	65.37	1146.00	44.07	2845.75	109.45
2.	टाईपिस्ट, क्लर्क	1590.50	61.17	1146.00	44.07	2736.50	105.23
3.	मिस्त्री, ड्राईवर, पेटी बनाने वाले	1699.75	65.37	1146.00	44.07	2845.75	109.45
4.	पेटी भरने वाला, मसाला तोलने वाला	1590.50	61.17	1146.00	44.07	2736.50	105.23
5.	पुड़ा बनाने वाला, मसाला भरने वाला, भृत्य	1482.40	57.01	1146.00	44.07	2628.40	101.09

नोट :–

अगरबत्ती उद्योग से सबद्ध कर्मचारी जैसे पेटी बनाने वाला, मिस्त्री, ड्राईवर, पेटी भरने वाला, मसाला तोलने वाला, एकाऊँटेंट, केशियर, गोडाउन कीपर, टाईपिस्ट, क्लर्क, भृत्य आदि की दैनिक या मासिक मजदूरी न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधीन, कुशल, अर्धकुशल एवं अकुशल प्रवर्ग की मजदूरी के अनुसार विनियमित की जावेगी ।

स्पष्टीकरण

1. अनुसूची के कॉलम 2 में उपदर्शित न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त परिवर्तनशील महँगाई भत्ता (वी0डी0ए0) जनवरी, 1997 से जून, 1997 में औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (जिसे इसमें इसके पश्चात् सूचकांक कहा जायेगा) 352 (1982=100) से अधिक पर इस अधिसूचना के कॉलम 3 में उपदर्शित प्रत्येक काम के लिए प्रति बिंदु सम्मुख अंकित किये गए अनुसार दर से तथा मासिक दर पर कार्यरत् कर्मचारियों के लिए रूपये 5.00 प्रति बिंदु प्रतिमाह की दर से संदेय होगा । जिसकी गणना प्रत्येक छः माह जुलाई से दिसम्बर तथा जनवरी से जून जैसी भी स्थिति हो, के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी और क्रमशः 1 अप्रेल तथा 1 अक्टूबर से देय होगी । इस प्रकार से संगणित परिवर्तनशील महँगाई भत्ता न्यूनतम वेतन का भाग होगा । उक्त औसत सूचकांक न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा छत्तीसगढ राजपत्र में घोषित किया जावेगा ।

2. अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरों से अधिक है तो वह किसी भी परिस्थिति में कम नहीं की जावेगी । न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन परिकल्पित किये गये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पुनरीक्षित दरों में पारिश्रमिक सम्मिलित है ।

3. निर्धारित मासिक मजदूरी कैलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगी, जहाँ मजदूरी की मासिक दर नियत की गई है, वहाँ यदि एक दिन की मजदूरी संगणित की जानी हो, तो मासिक मजदूरी को 26 से भाग देकर अभिप्राप्त की जावेगी, जिसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 13 में बताये गए अनुसार विश्राम दिवस का पारिश्रमिक भी सम्मिलित होगा ।

(नारायण सिंह)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

श्रम आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर

क्रमांक/आठ/न्यू0वे0/श्र0आ0/1372 रायपुर, दिनाँक 11.04.2007

अभिसूचना

छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा मध्य प्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक/3761/ 613/16–ए/82, दिनाँक 25.05.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत शासन के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात कर, मैं नारायण सिंह, श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर, विगत जुलाई, 2005 से जून, 2006 तक के माहों के लिए सूचकांकों का निम्नानुसार घोषित करता हूँ :–

माह / वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960=100)
जुलाई, 2005	2652
अगस्त, 2005	2662
सितंबर, 2005	2672
अक्टूबर, 2005	2702
नवंबर, 2005	2726
दिसंबर, 2005	2712
जनवरी, 2006	2716
फरवरी, 2006	2716
मार्च, 2006	2716
अप्रेल, 2006	2741
मई, 2006	2761
जून, 2006	2805
योग	$\frac{32581}{12} = 2715$

तथा उक्त के अनुसार औसत 2715 घोषित करता हूँ, जो कि किसी तंबाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों के लिए वार्षिक निर्वाह व्यय सूचकांक (एनवर्ल एवरेज कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा । इस आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ–1–(सी)–94–16–ए, दिनाँक 05.06.1997 (मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनाँक 07.06.1997) एवं श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ–28–116–99–16–ए, दिनाँक 04 सितबर, 2000 (मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनाँक 04 सितंवर, 2000 में प्रकाशित) के द्वारा निर्दिष्ट परिवर्तनशील महँगाई भत्ता बीड़ी श्रमिकों को **दिनाँक 01.10.2006 से 30.09.2007 तक देय रहेगा ।**

(नारायण सिंह)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

श्रमायुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/आठ/न्यू0वे0/म0भा0/2006/3570, दिनाँक 27.10.2006 के अनुसार जुलाई, 2005 से जून, 2006 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 2715 रहा है, इसलिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1206 (1960=100) के आधार आँकड़ों के ऊपर, जुलाई, 2005 से जून, 2006 की अवधि में 1509 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है । (2715−1206=1509 पाईंट) जिसके परिणाम स्वरूप किसी तंबाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन के लिए परिवर्तनशील महँगाई भत्ता 1 पैसे प्रति बिंदु प्रति हजार बीड़ी के मान से 1509 पैसे परिवर्तनशील महँगाई भत्ता दिनांक 01.10.2006 से 30.09.2007 तक देय है । (अनुसूची "ई").

श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ–4(सी)–ए–94–16–ए, दिनाँक 05.09.1997 (मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनाँक 07.06.1997) एवं श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक ए–28–116–99–16–ए, दिनाँक 04 सितंबर,2000 (मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनाँक 04 सितंबर, 2000) के अंतर्गत किसी तंबाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन में दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है, जो दिनाँक 01.10.2006 से 30.09.2007 तक देय है ।

अनुसूची–"ई"

किसी तंबाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन

	कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मजदूरी की दरें	परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की दरें	कुल वेतन
1.	बीड़ी रोलर (1000 बीड़ी बनाने के लिये)	रू0 22.50 पैसे	रू0 15.09 पैसे	रू0 37.59 पैसे किंतु यदि श्रमिक का किसी सप्ताह में प्राप्त होने वाले वेतन का योग रूपये 210.50 से कम हो तो उसे इस अधिसूचना की परिशिष्ट में बताई गई शर्तों के अनुसार कम से कम रूपये 210.50 का भुगतान उस सप्ताह में किया जावेगा।
2.	रिलाई श्रमिक			

अ. बीडी के कट्टों पर झिल्ली लगाना

1.	लेबल चिपकाने तथा पुडों को बनाने या चिपकाने संबंधी कार्य	रू0 15.00 प्रति 1000 कट्टों पर	एक पैसे प्रति बिंदु प्रति दो हजार	रूपये 22.55 पैसे
2.	यदि कट्टे पर दोनों ओर लेबल लगाया जाता है।	रू0 17.35 पैसे प्रति 1000 कट्टों पर	एक पैसे प्रति बिंदु प्रति दो हजार	रूपये 24.90 पैसे

ब. झिल्ली एवं लेबल लगाने संबंधी कार्य

1.	झिल्ली लेबल लगाना	रू0 11.20 प्रति 1000 कट्टों पर	1 पैसे प्रति बिंदु प्रति दो हजार	रूपये 18.75 पैसे
2.	झिल्ली लगाना	रू0 7.77 प्रति 1000 कट्टों पर	1.5 पैसे प्रति बिंदु प्रति चार हजार	रूपये 13.43 पैसे
3.	लेबल लगाना	रू0 3.60 प्रति 1000 कट्टों पर	1 पैसे प्रति बिंदु प्रति आठ हजार	रूपये 05.49 पैसे
4.	पुड़ा बनाना या चिपकाना	रू0 3.85 प्रति 1000 कट्टों पर	1 पैसे प्रति बिंदु प्रति आठ हजार	रूपये 05.74 पैसे

स. एक हजार कट्टों पर जबकि 25 बीड़ियों का कट्टा हो

1.	आड़ी तथा खड़ी पट्टी लगाने का कार्य हो	रू0 49.75 पैसे प्रति एक लाख बीड़ी पर	2 पैसे प्रति बिंदु प्रति लाख बीड़ी पर	रूपये 79.93 पैसे
2.	झिल्ली आड़ी तथा खड़ी पट्टी लगाने का कार्य हो	रू0 62.45 पैसे प्रति एक लाख बीड़ी पर	2 पैसे प्रति बिंदु प्रति लाख बीड़ी पर	रूपये 92.63 पैसे

3	झिल्ली तथा नक्शी झिल्ली लगाने का कार्य	रू0 62.45 पैसे प्रति एक लाख बीड़ी पर	2 पैसे प्रति बिंदु प्रति लाख बीड़ी पर	रूपये 92.63 पैसे

नोट :-

बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों जैसे, बीड़ी छाँटने तथा जाँच करने वाले, तंबाकू मिश्रण तथा छानने का कार्य करने वाला, भट्टी वाला, रसोईया, ड्राईवर (भारी वाहन), हल्का वाहन, एकाऊँटेंट, मुनीम, कैशियर, गोडाउन कीपर, स्टोर कीपर, टाईपिस्ट, बिलमेन, क्लर्क, भृत्य, चौकीदार के वेतन न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत् समय–समय पर निर्धारित कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के वेतन के अनुसार नियमित होंगे ।

इस प्रयोजन के लिए उपर्युक्त कर्मकारों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जावेगा ।

1. कुशल : ड्राईवर (चालक), (भारी वाहन), एकाऊँटेंट, मुनीम, केशियर, स्टोरकीपर, हेडक्लर्क, गोडाउन कीपर ।
2. अर्धकुशल : बीड़ी छाँटने तथा जाँच करने वाला भट्टी वाला, रसोईया, ड्राईवर, (हल्का वाहन), टाईपिस्ट, बिलमेन, क्लर्क ।
3. अकुशल : ट्रक से माल चढ़ाने या उतारने वाले या बीड़ियों के पुड़ों के कार्य में लगा श्रमिक, भृत्य, चौकीदार ।

बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की दर परिवर्तनशील महँगाई भत्ते सहित दिनाँक 01.10.2006 से 30.09.2007 तक निम्नानुसार देय है ।

क्र0	कर्मचारियों का वर्ग	मूल वेतन	महँगाई भत्ता	कुल वेतन प्रतिमाह	कुल वेतन प्रतिदिन
1.	कुशल	1065.44	1509.00 पैसे	2574.44	99.01
2.	अर्धकुशल	898.30	1509.00 पैसे	2407.30	92.59
3.	अकुशल	732.80	1509.00 पैसे	2241.80	86.22

स्पष्टीकरण

1. अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ब) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक इन वेतन दरों में सम्मिलित हैं ।
2. परिवर्तनशील महँगाई भत्ता उपरोक्त अनुसूची (ई) के स्तंभ तीन में लेबर ब्यूरो, शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, 1206 (1960=100) पर आधारित है । 1206 सूचकांक के ऊपर प्रति एक वर्ष में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में अनुसूची के स्तंभ क्रमांक 4 में वृद्धि दिनांक 1 अक्टूबर से की जावेगी और स्तंभ 3 में परिवर्तनशील महँगाई भत्ते में हुई यह वृद्धि परिवर्तनशील महँगाई भत्ता मानी जावेगी । 1 अक्टूबर से देय परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की वृद्धि की गणना गत जुलाई से जून तक के एक वर्ष के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी, जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत् सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजपत्र में समय–समय पर प्रकाशित की जावेगी ।
3. निर्धारित मासिक वेतन केलेण्डर माह की समाप्ति पर देय होगा, एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जाएगा ।
4. जहाँ नियोजन प्रति सप्ताह 5600 बीड़ी बनाने के लिए लगने वाला कच्चा माल तंबाकू, तेंदूपत्ता, धागा पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाता तब कर्मचारी कम से कम 5600 बीड़ी के लिए देय वेतन तथा विशेष महँगाई भत्ता प्रति सप्ताह जिसे आगे गारन्टेड वेज कहा जाएगा, प्राप्त करने का अधिकारी होगा ।
5. गारंटी वेज में कर्मचारी द्वारा किसी भी दिन उसके नियोजक द्वारा दिये गए कच्चे माल की मात्रा में वास्तव में बनाई गई बीड़ी का जो वेतन अर्जित करेगा, वह भी सम्मिलित होगा ।
6. यदि कर्मचारी अन्य ईच्छा से किसी भी कारणवश् किसी दिन गारन्टेड वेज प्राप्त करने की मात्रा से भी कम वेतन अर्जित करता है तो कर्मचारी गारन्टेड वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा ।
7. जो कर्मचारी दिये गए कच्चे माल की मात्रा यद्यपि वह 5600 बीड़ियाँ सप्ताह में बनाने के लिए पर्याप्त हो कि पूर्ण रूप से उपभोग नहीं कर पाता है तो वह गारंटी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा ।
8. आग, विपत्ति महामारी, असैनिक क्षोभ या इसके समान अन्य स्थिति में जो नियोजक के नियंत्रण के बाहर है यदि नियोजक कर्मचारी को कच्चा माल नही दे पाता तो कर्मचारी वेज प्राप्त करने का अधिकार नही होगा ।

(नारायण सिंह)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

EFFECTIVE WAGES OF BEEDI ROLLERS

Beedi Rollers (For rolling of 1000 Beedies)

Effective from 01/10/2006 to 30/09/2007

V.D.A. revisable annualy with effect from 01/10/2006

No.	PERTICULAR	Rs./P.
01.	Basic Wage	22.50
02.	Variable Dearness Allowance	15.09
03.	Leave with Salary (@ 5% of Total wages)	01.88
04.	Total Wages	39.47
05.	Bonus (@ 8.33% of Total wages)	03.29
06.	P.F.Contribution of employer (@ 10% of Total wages)	03.95
07.	Total wages + Bonus +P.F. Contribution Less contribution of employer (-)	46.71 03.95
08.	Total wages + Bonus	42.76
09.	Less P.F. Contribution of employee (@ 10% of Total wages) (-)	03.95
10.	Net payble to Beedi Rolleer	38.81

नारायण सिंह,
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी.
छत्तीसगढ़, रायपुर.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 15 मई 2007

क्र./परिसमापन/2007/621.—पंजीयन क्रमांक 9819 दिनांक 4-6-98 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1041 दिनांक 5-8-06 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर कृति आदि. काष्ठकला स., सेमरिया को परिसमापन में लाता हूं तथा सह. वि. अधि., कोटा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 15 मई 2007

क्र./परिसमापन/2007/622.—पंजीयन क्रमांक 3875 दिनांक 7-8-97 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1042 दिनांक 5-8-06 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर मुरूम खदान स. स., सकरी को परिसमापन में लाता हूं तथा सह. वि. अधि., तखतपुर को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 15 मई 2007

क्र./परिसमापन/2007/625.—पंजीयन क्रमांक 107 दिनांक 4-4-2001 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1044 दिनांक 5-8-06 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर आगर खदान कामगार स., मुंगेली को परिसमापन में लाता हूं तथा सह. वि. अधि., मुंगेली को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 15 मई 2007

क्र./परिसमापन/2007/627.—पंजीयन क्रमांक 3795 दिनांक 28-9-96 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1155 दिनांक 21-8-06 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर खनिज सह. स., चकरभांटा को परिसमापन में लाता हूं तथा सह. वि. अधि., बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 15 मई 2007

क्र./परिसमापन/2007/628.—पंजीयन क्रमांक 3899 दिनांक 22-6-98 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1152 दिनांक 21-8-06 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर आदर्श गिट्टी खदान स., सिलपहरी को परिसमापन में लाता हूं तथा सह. वि. अधि., बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 15 मई 2007

क्र./परिसमापन/2007/629.—पंजीयन क्रमांक 119 दिनांक 13-8-2001 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1163 दिनांक 21-8-06 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर खपरा उद्योग स. स., मंगला को परिसमापन में लाता हूं तथा सह. वि. अ., बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

डी. आर. ठाकुर,
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.